न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 12/2018
3. उनवान : सुरेश कुमार पुत्र श्री सौभागमल ज्योतिषी, जाति डाकौत, निवासी बासड़ी खुर्द, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर

–प्रार्थी/निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत बासड़ी खुर्द, पंचायत समिति सांभरलेक, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर (राजस्थान) जरिये–

(1) सरपंच, ग्राम पंचायत बासडी खुर्द, पंचायत समिति सांभरलेक, तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।

(2)सचिव, ग्राम पंचायत बासडी खुर्द, पंचायत समिति सांभरलेक, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।

–गैर निगरानीकार

2. राजकुमार पुत्र श्री सौभागमल ज्योतिषी, जाति डाकौत, निवासी बासड़ी खुर्द, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।

––तरतीबी/गैर निगरानीकार

4. निर्णय दिनांक : 23-07-2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा निगरानीकार की ओर से।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate - III • JAIPUR •

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के पिता श्री सौभागमल को ग्राम पंचायत बासडी खुर्द द्वारा एक पट्टा संख्या 8 दिनांक 15.12.1980 को ग्राम पंचायत बासडी खुर्द, पंचायत समिति सांभरलेक, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर द्वारा जारी किया गया था। उपरोक्त पट्टा निगरानीकर्ता के पिता के पक्ष में जारी होने के बाद निगरानीकर्ता व उसके पिता ने मिलकर उपरोक्त भूमि पर आवास हेतु पुख्ता मकान का निर्माण कर लिया। निगरानीकर्ता के पिता का देहान्त हो चुका है तथा वर्तमान में निगरानीकर्ता व उसके भाई का परिवार उपरोक्त पट्टेशुदा भूमि पर रहवास करते हुये उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। निगरानीकर्ता, गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 के पास उपरोक्त पट्टा जो उनके पिता के नाम से था, उसको अपने नाम से हस्तान्तरण करवाने हेतु कई मर्तबा लिखित व मौखिक प्रार्थना पत्र दिया व कहा परन्तु गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 निगरानीकर्ता से राजनैतिक द्वेषता रखते हैं। इस कारण से उन्होंने दिनांक 20.08.2016 को अतिक्रमण हटाने बाबत एक नोटिस निगरानीकर्ता को दिया है, जिसके विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है। अन्त में निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत, बासडी खुर्द, पंचायत समिति सांभरलेक, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर द्वारा जारी नोटिस क्रमांक ग्रा. प./2016/26, दिनांक 20.08.2016 को निरस्त फरमाते हुये निर्मितशुदा भू-भाग की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करने निवेदन किया गया है।

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

निगरानी के संलग्न निगरानीकार ने स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राम पंचायत का निगरानीधीन नोटिस, पट्टा सं0 8 की प्रति पेश की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी गैरनिगरानीकारान जारी किये गये।

गैर निगरानीकार सं0 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब निगरानी में अंकित किया गया है कि निगरानीकर्ता द्वारा जिस पट्टे का उल्लेख किया गया है, उसकी असल अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। निगरानीकार द्वारा पट्टे की आड़ लेकर सार्वजनिक आबादी भूमि एवं अप्रार्थी की अन्य भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण/कब्जा कर निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में निगरानीकर्ता के विरुद्ध निरन्तर शिकायतें आ रही है एवं अप्रार्थी की ओर से भी उसके विरुद्ध उसके अवैध कृत्यों एवं कार्यवाही हेतु उसे लिखा जा रहा है एवं अवैध अतिक्रमण एवं निर्माण करने से रोका जा रहा है, कोई पुख्ता पूर्ण निर्माण निगरानीकर्ता द्वारा नहीं किया हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा निगरानीकर्ता अथवा उसके परिवार से कोई रंजिश नहीं रखी जा रही है, अपितु अपने रिकॉर्ड एवं उनको मिल रही शिकायत के आधार पर निगरानीकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। क्योंकि निगरानीकर्ता पट्टे की आड़ में सार्वजनिक आबादी भूमि एवं अप्रार्थी की अन्य भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करते हुये निर्माण करना चाहता है तथा रास्ता दुकानों की जमीन पर से निकालना चाहता है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। निगरानीकर्ता पट्टे की आड़ में गलत प्रकार से अतिक्रमण एवं निर्माण करना चाहता है तथा अप्रार्थी की भूमि पर अपनी भूमि के दक्षिणी तरफ से आन–जान करना चाहता है एवं उस ओर दुकानें/दरवाजे, खिड़कियां इत्यादि निकालना चाहता है. जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। निगरानीकर्ता की उक्त अवैध कब्जा करते हुये पट्टे के अधिकार के बाहर जाकर निर्माण करना चाहता है एवं दक्षिण की तरफ जो अप्रार्थी की भूमि है, की तरफ दुकानें, दरवाजें, खिड़कियां निकालकर उस तरफ से अपना आन–जान करना चाहता है एवं कब्जा करना चाहता है। निगरानीकर्ता को जो नोटिस दिया गया है, वह पूर्ण जांच पड़ताल कर मौके की स्थिति को देखते हुये एवं रिकार्ड को देखते हुये दिया गया है, जो पूर्णतयाः सही साबित होता है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमायी जावे।

ग्राम पंचायत बासडी खुर्द ने अपने पत्र दिनांक 18/10/2016 में अंकित किया है कि प्रार्थी का पट्टा 950 वर्गगज का है और प्रार्थी ने 162 वर्गगज अधिक में निर्माण कर रखा है। ग्राम पंचायत के पट्टे के अनुसार भू–खण्ड का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा आम रास्ते पर खोलना अंकित है लेकिन प्रार्थी ने ग्राम पंचायत पत्रावली एवं पांच दुकानों का निर्माण कर द्वार खोल लिया गया, जो पूर्ण रूप से अवैध है। प्रार्थी ने सरकार की लाखों रूपये की आबादी भूमि पर कब्जा कर लिया है। निगरानी खारिज करते हुए ग्राम पंचायत के हित में अतिक्रमण हटवाने हेतु आदेश जारी करें।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने कथन किया कि ग्राम पंचायत बासडी खुर्द द्वारा जारी पट्‌टा सं0 8 दिनांक 15.12.1980 को जारी किया गया था। उपरोक्त भूमि पर निगरानीकर्ता व उसके भाई का परिवार उपरोक्त पट्टेशुदा भूमि पर रहवास करते हुये उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। निगरानीकर्ता, गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 के पास उपरोक्त पट्टा जो उनके पिता के नाम से था, उसको अपने नाम से हस्तान्तरण करवाने हेतु कई मर्तबा लिखित व मौखिक प्रार्थना पत्र दिया व कहा परन्तु गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 निगरानीकर्ता से राजनैतिक द्वेषता रखते हैं। इस कारण से उन्होंने दिनांक 20.08.2016 को अतिक्रमण हटाने बाबत एक नोटिस निगरानीकर्ता को दिया है। बिना कोई विधिक प्रकिया अपनाये व बिना मौके की कोई जॉंच पडताल किये नोटिस दिया है। गैर निगरानीकार द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 20.08.2016 में भूमि की कोइं नाप जोख इत्यादि नहीं दी है तथा ना ही नोटिस में इस बात का कोई उल्लेख किया है कि निगरानीकर्ता ने किस जगह पर अतिक्रमण कर रखा है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत बासडी खुर्द द्वारा जारी नोटिस क्रमांक ग्रा. प. /2016/26, दिनांक 20.08.2016 को निरस्त फरमाते हुये निर्भितशुदा भू–भाग की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करें।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि कि प्रार्थी का पट्‌टा 950 वर्गगज का है और प्रार्थी ने 162 वर्गगज अधिक में निर्माण कर रखा है। ग्राम पंचायत के पट्‌टे के अनुसार भू–खण्ड का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा आम रास्ते पर खोलना अंकित है लेकिन प्रार्थी ने ग्राम पंचायत पत्रावली एवं पांच दुकानों का निर्माण कर द्वार खोल लिया गया, जो पूर्ण रूप से अवैध है। प्रार्थी ने सरकार की लाखों रूपये की आबादी भूमि पर कब्जा कर लिया है। निगरानीकर्ता के पिता को जो पट्टा जारी किया गया है, उसमें रास्ता पश्चिम की ओर से दिया गया है एवं दर्शाया गया है, परन्तु निगरानीकर्ता गलत तरीके से सार्वजनिक आबादी भूमि/अप्रार्थी की भूमि पर गलत तरीके से अतिक्रमण, कब्जा करते हुये पट्टे के अधिकार के बाहर जाकर निर्माण करना चाहता है एवं दक्षिण की तरफ जो अप्रार्थी की भूमि है, की तरफ दुकानें, दरवाजें, खिड़कियां निकालकर उस तरफ से अपना आन–जान करना चाहता है एवं कब्जा करना चाहता है। सम्बन्ध में निगरानीकर्ता के विरुद्ध निरन्तर शिकायतें आ रही है एवं अप्रार्थी की ओर से भी उसके विरुद्ध उसके अवैध कृत्यों एवं कार्यवाही हेतु उसे लिखा जा रहा है एवं अवैध अतिक्रमण एवं निर्माण करने से रोका जा रहा है। निगरानीकर्ता पट्टे की आड़ में सार्वजनिक आबादी भूमि एवं अप्रार्थी की अन्य भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करते हुये निर्माण करना चाहता है तथा रास्ता दुकानों की जमीन पर से निकालना चाहता है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। निगरानीकर्ता को जो नोटिस दिया गया है, वह पूर्ण जांच पड़ताल कर मौके की स्थिति को देखते हुये एवं रिकार्ड को देखते हुये दिया गया है, जो पूर्णतयाः सही साबित होता है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमायी जावे।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता निगरानीकार का मुख्य कथन है कि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बासडी खुर्द द्वारा पट्‌टा सं0 8 दिनांक 15.12.1980 को 950 वर्गगज का जारी किया गया था। सरपंच, ग्राम पंचायत बासडी खुर्द अनुसार निगरानीकार द्वारा अपने पट्‌टे की भूमि 950 वर्गगज से 162 वर्गगज अधिक पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया जा रहा है। निगरानीकार को उक्त के संबंध में कई बार नोटिस भी दिया गया है। हस्तगत निगरानी ग्राम पंचायत बासडी खुर्द द्वारा जारी

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

नोटिस दिनांक 20/08/2016 के विरूद्ध विचाराधीन है। अपीलाधीन नोटिस में ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में जारी नोटिस दिनांक 20/07/2016, 30/07/2016 एवं 09/08/2016 का हवाला है। सरपंच, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत जवाब में पूर्व में जारीशुदा नोटिस संलग्न पेश किये गये हैं। ग्राम पंचायत बासडी खुर्द के नोटिस दिनांक 20/07/2016 में आबादी भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण कार्य रोकने हेतु लिखा गया है। दिनांक 30/07/2016 के नोटिस में नक्शे के विपरीत रास्ता निकालने तथा दक्षिण दिशा में दुकानों व अन्य निर्माण करने का उल्लेख है। दिनांक 09.08.2016 के नोटिस में ग्राम पंचायत बासडी खुर्द द्वारा पूर्व में जारीशुदा नोटिसों के जवाब ना देने, निर्माण कार्य रोकने व दक्षिण दिशा की तरफ मुख्य द्वार नहीं निकालने हेतु लिखा है तथा अतिक्रमण हटाने हेतु लिखा है। अतः निगरानीकर्ता का यह कथन सही नहीं है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी नोटिस में नाप-जोख नहीं दी गई है तथा किस अतिक्रमण के संबंध में नोटिस है, यह स्पष्ट नहीं है। नोटिसों में भी स्पष्ट अंकित है कि भू-खण्ड में रास्ता दक्षिण दिशा में नहीं निकालें तथा निर्माण कार्य रोकें। ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक हित की आबादी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत आम जनता द्वारा किये जाने पर कार्यवाही शुरू की गई व नोटिस जारी किये गये। निगरानीकर्ता को नोटिस का जवाब देकर अपना पक्ष ग्राम पंचायत के समक्ष रखना चाहिए।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत निगरानीकार की निगरानी सारहीन एवं तथ्यहीन होने के कारण इस निर्देश के साथ खारिज की जाती है कि निगरानीकार अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत के समक्ष अपना पक्ष रखें। ग्राम पंचायत को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण के संदर्भ में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में विनिर्दिष्ट नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 21-07-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate • JAIPUR •